(a) whether Government have accepted the report on arrears of Employees State Insurance Corporation and Employees Provident Fund submitted by a Special Committee under the Labour Consultative Committee; and

(b) if so, the details thereof and what steps are being taken to implement the recommendations?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) The Consultative Committee of Parliament in its meeting held on July 8, 1994 adopted the report of its Sub-Committe regarding the Employees Provident Fund and Employees State Insurance dues. The Government has decided to have the report first considered by the ESI Corporation and the Central Board of Trustees, EPF Organisation discussion has also been held in the Central Board of Trustees (CBT) of (EPFO).

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल और चिकित्सा केन्द्र

*114. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों और चिकित्सा केन्द्रों की दशा इतनी अधिक शोचनीय है कि अधिकांश चिकित्सा केन्द्रों पर आवश्यक दवायें और चिकित्सक तक उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की समस्याओं की जांच करने के लिए श्रम मंत्रालय की सलाहकार समिति के अंतर्गत नियुक्त उप-समिति ने भी उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में गंभीर टिप्पणियां की हैं; और

(ग) यदि हां, तो चिकित्सा केन्द्रों पर ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में उपस्करों दवाईयों एवं औषधियों की अनुपलब्धता, चिकित्सा तथा गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की कमी की छुट-पुट शिकायतें मिली हैं । श्रम मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की उप-समिति को कुछ अस्पतालों में इसी प्रकार की कमियों का पता चला है । तथापि समिति ने इन्द्रानगर-बंगलौर, सनत नगर-हैदराबाद एवं एम.जी.एम., बम्बई में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा हस्पतालों के कार्य को संतोषजनक पाया है ।

दिल्ली और नौएडा को छोड़कर कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख के प्रशासन का उत्तरदायित्व संबद्ध राज्य सरकारों पर है। अतः चिकित्सा देख-रेख में इस प्रकार की कमियों के बारे में शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों को उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाने के लिए भेज दी जाती हैं । जहां तक उप-समिति की टिप्पणियों का प्रश्न है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने समुचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें नोट कर लिया है ।

राज्य मंत्रियों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी समिति

*115. **श्री सुरेश पचौरी :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य मंत्रियों की समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य निर्धन वर्गों की ओर और अधिक ध्यान देने का होना चाहिए किन्तु इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की छानबीन के लिए एक अन्य तीन सदस्यीय दल का गठन किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दल को कौन-कौन से मुद्दे सौंपे गए हैं ;

(घ) राज्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा वर्ष 1993 में कौन-कौन सी सिफारिशें की गई थीं और सरकार ने इन्हें लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) नई समिति को कौन-कौन से मुद्दे सौंपे गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता, मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद् ने मार्च, 1993 में हुई अपनी 15वीं बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सलाह दी जिसमें समाज के वास्तव में जरूरतमंद और पात्र वर्गों को खाद्यान्नों की एक बड़ी और अधिक सार्थक मात्रा आवंटित करने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। सरकार ने इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित की जिसमें तमिलनाडु, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सदस्य के रूप में शामिल किए गए। मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद की 22-9-1993 को हुई 16वीं बैठक में विचार किया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद् ने यह सिफारिश की कि मामले के महत्व को देखते हुए रिपोर्ट को राज्य सरकारों के साथ और विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् को भेज दी जाए। केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि इस मामले पर प्रथमतः मंत्रियों के एक दल द्वारा विचार किया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशें विवरण में दी गई हैं।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय नीति के बारे में मंत्रियों की समिति की सिफारिशें

1. आबादी के गरीब वर्गों को बेहतर खाद्य देने के लिए यह वांछनीय है कि आबादी के कमजोर वर्गों के प्रति परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रतिमाह कम से कम 28 कि.ग्रा. खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। लेकिन खाद्यान्नों की उपलब्धता में वर्तमान बाध्यताओं को देखते हुए यह अनिवार्य है कि ऐसे प्रत्येक परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम से कम 20 कि.ग्रा. मात्रा उपलब्ध कराई जाए।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में जरूरतमन्द और गरीब वर्गों को अधिक एवं सार्थक मात्रा मिले यह अपरिहार्य है कि आबादी के तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति वाले वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की सुविधा से बाहर रखा जाए।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से तुलनात्मक रूप से बेहतर श्रेणियों को बाहर करने के लिए आय का मानदण्ड सर्वश्रेष्ठ मानदण्ड है। तथापि, इस मानदण्ड को व्यावहारिक रूप देने में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए एक वैकल्पिक व्यवहार्य तरीका यह हो सकता है कि प्रणाली से बाहर करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की कई श्रेणियां निर्धारित कर दी जायें जिन्हें प्रत्यक्षतः अधिक सम्पन्न समझा जाता है और जो स्पष्टतः गरीब नहीं है।

4. जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है, केन्द्रीय सरकार बाहर की जाने वाली श्रेणियों के बारे में दिशा-निर्देश जारी करे।

ऐसी श्रेणियों की उदाहरणस्वरूप सूची नीचे दोहराई गई है :—

(1) आयकर दाता।

(2) डाक्टर, वकील, सनदी लेखाकारों, वास्तुकारों, इंजीनियरों आदि जैसे व्यावसायिक।

(3) बिक्रीकर दाता (दुकानदार और व्यापारी)

(4) शाप्स एण्ड इस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत सभी व्यक्ति।

(5) सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारी (क्र. सं0 3, 4 और 5 के मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आय सीमा निर्धारित तथा लागू की जा सकती है)।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, बटइदारों, छोटे सीमान्त किसानों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत लाभ हेतु पात्र माने गए सभी परिवारों तथा समान आर्थिक स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों, यदि कोई हों, को छोड़कर अन्य श्रेणियां।

राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दिशा-निदर्शों को पूर्ण राजनैतिक और प्रशासनिक निश्चय के साथ लागू करें। राज्य सरकारें, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य-प्रणाली के बारे में विस्तृत आदेश जारी करें। वे स्थानीय स्थितियों को देखते हुए इसमें आवश्यक संशोधन कर सकती हैं।

5. केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं को जो कुल मात्रा जारी की जा रही है उसमें कमी न की जाए, बल्कि जहां आवश्यकता हो वहां इसमें वृद्धि की जाए क्योंकि अन्यथा जरुरतमंद और पात्र व्यक्तियों को अधिक सार्थक मात्रा देने का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा।

6. राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति वाले वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत (लेवी) चीनी की आपूर्ति की सुविधा से बाहर करने की नीति पर विचार कर सकते हैं, ताकि गरीब वर्गों को अधिक आबंटन किया जा सके।

7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी के तेल की आपूर्ति सभी को उपलब्ध कराई जाती रहे। लेकिन रसोई गैस के दो सिलिंडर (डी0बी0सी0) रखने वाले लोगों को मिट्टी के तेल की हकदारी से बाहर किया जा सकता है या कम मात्रा दी जा सकती है।

8. सुपुर्दगी की प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने के लिए निरन्तर कदम उठाए जाएं ताकि कमजोर वर्गों को देने के लिए जो न्यूनतम मात्राएं सोची गई हैं वे उन्हें नियमित रूप से मिलती रहें।

9. खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि आवश्यक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि के साथ सम्बद्ध नहीं की जानी चाहिए। अंतिम खुदरा मूल्य, बाजार मूल्यों की तुलना में काफी कम स्तरों पर रखे जाएं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाया जा सके।

10. केंद्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सप्लाई करने के लिए स्वीकार्य किस्म के कॉमन चावल के उत्पादन और वसूली में वृद्धि लाने हेतु उपयुक्त नीतिगत उपाय करें।

11. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की ढुलाई और भण्डारण का कार्य शुरु करें।

12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों की क्वालिटी में सुधार लाने हेतु प्रयास किए जाएं ।

13. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस बात का विकल्प दिया जाए कि वे मासिक आबंटन की वर्तमान प्रणाली के बजाए तिमाही आधार पर अपना आबंटन ले सकें ।

Transport contract to specific agency in Mahanadi Coal Field Limited

*116. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Coal transport contract is being given to a specific agency in Mahanadi Coal Field Limited in Orissa;

(b) whether the local contractors who intend to transport coal from the mines to the pithead are being deprived of such facility;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps taken to remove this irregularity?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) No, Sir.

(b) The contracts of transportation of coal are given after following the prescribed procedure of inviting open tenders, in which the local contractors are given full opportunity to participate. Cases of ex-servicemen's transport companies/cooperatives duly sponsored by the Directorate General of Resettlement. Ministry of Defence are also considered..

(c) and (d) Do not arise.

Land acquisition for Coffee plantation

*117. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the total land acquired in Kalahandi, Koraput and Phulbani district of Orissa for Coffee plantation:

(b) whether due compensation has been given to the farmers particularly: tribals whose land has been acquired;

(c) if not, the steps taken to make the payment expeditiously; and

(d) the details of additional hectares of land proposed to be brought under coffee plantation in that part of Orissa?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (d) Coffee plantations have been developed on a total area of 1407 hectares in the Districts of Kalahandi, Koraput and Phulbani in Orissa, partly under the State Government Agencies and partly by the individuals. Coffee Board has been offering all the technical assistance and support for development of coffee plantations in these areas. However, land acquisition is a State subject and is dealt with by the State Government. Neither the Coffee Board nor the Government of India have acquired any land for Coffee plantation in Orissa. Therefore, the question of paying compensation by the Central Government does not arise.

For the Eighth Plan period, the Coffee Board has envisaged an expansion target of 5000 hectares for all the non-traditional areas including Orissa. However the Coffee Board has not received any proposal for expansion of coffee cultivation from the State Government of Orissa.